10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर के समक्ष

नि - 630 - PBR/16

रामप्रसाद पिता स्व. श्री रामचन्द्र खाती

निवासी - ग्राम डकाच्या तहसील सांवेर जिला इन्दौर

102/05-02-2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ... प्रार्थी

श्री मन्जु यादव

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 5-2-2016 को प्रस्तुत।

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा

कलेक्टर जिला इन्दौर (म.प्र.)

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

... प्रतिप्रार्थी

CF 15-3/16

निगरानी आवेदन - अन्तर्गत धारा 50

म.प्र. राजस्व संहिता 1959

प्रार्थी का सादर निवेदन है कि :-

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 193/2014-15/द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 29/06/2015 जिसका ज्ञान प्रांर्थी को आदेश हेतु कोई नियत पेशी नही दी होने से दिनांक 21/09/2015 को आदेश बाबत ज्ञात हुआ। इस उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी अपनी यह निगरानी अर्ज निम्नलिखित कारणों से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 630–पीबीआर/16 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 29–6–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–6–2015 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 5–2–2016 को 6 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण बैकडेट में आदेश पारित होना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक नहीं है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	